Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में आबकारी निरीक्षक 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *23 अगस्त मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए शिशुपाल, हाल आबकारी निरीक्षक वृत किशनगढ़ जिला अजमेर को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि किशनगढ़ में स्थित मेरी चार शराब की दुकानों को निर्बाध रूप से चलाने देने की एवज में शिशुपाल आबकारी निरीक्षक वृत किशगढ़ द्वारा प्रति दुकान 5 हजार रूपये प्रति माह के हिसाब से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के निर्देशन में** एसीबी की अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री प्रभुलाल कुमावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय टीम के आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए शिशुपाल, हाल आबकारी निरीक्षक वृत किशनगढ़ जिला अजमेर को परिवादी से **20 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।